सतत् विकास लक्ष्य

Sustainable Development Goals

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश

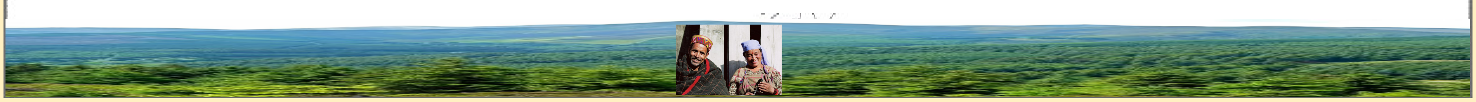

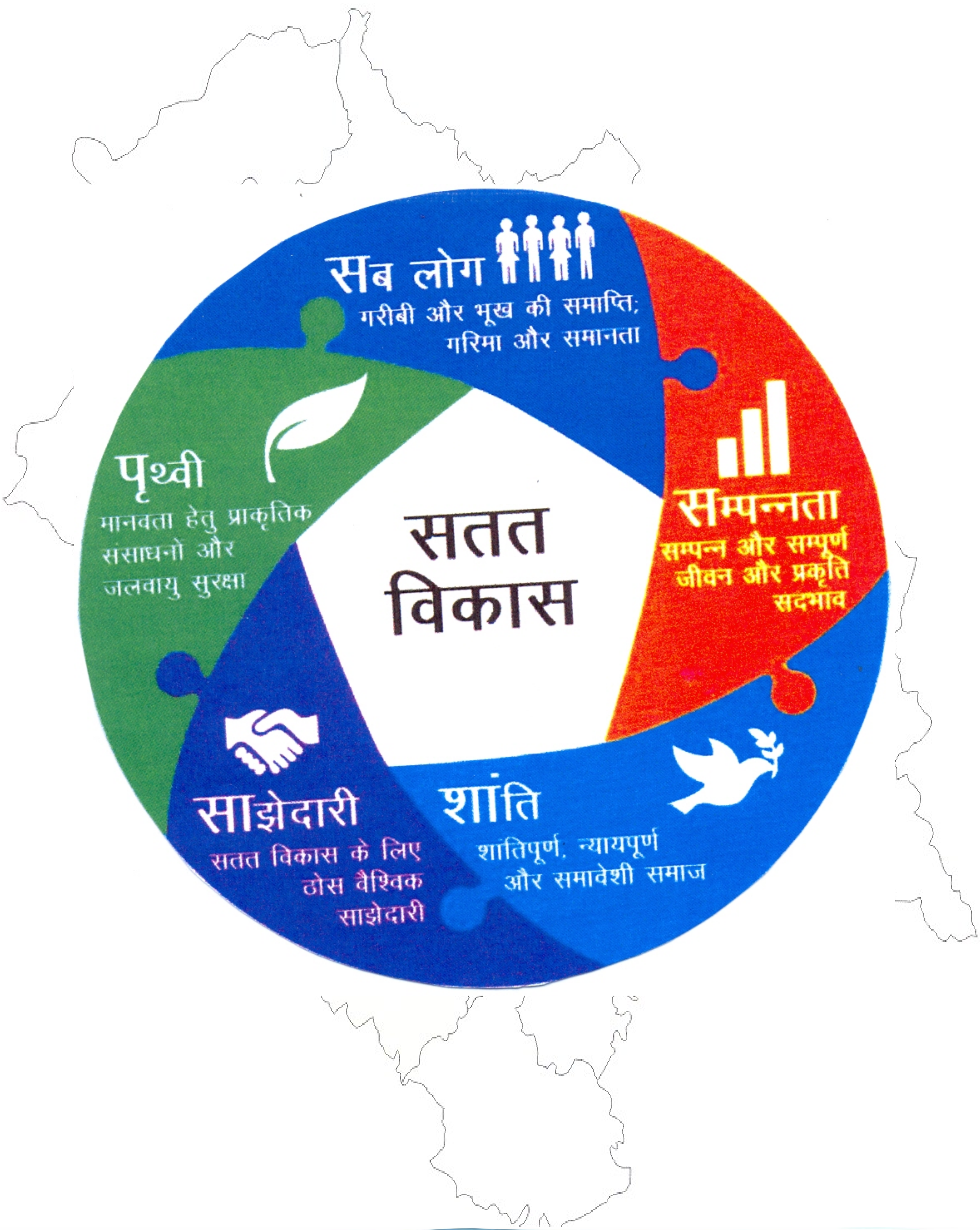
सब लोग
गरीबी और भूख की समाप्ति;
गरिमा और समानता
सम्पन्नता
सम्पन्न और सम्पूर्ण
जीवन और प्रकृति
सदभाव
शांति
शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण
और समावेशी समाज
साझेदारी
सतत विकास के लिए
ठोस वैश्विक
साझेदारी
पृथ्वी
मानवता हेतु प्राकृतिक
संसाधनों और
जलवायु सुरक्षा
सतत
विकास

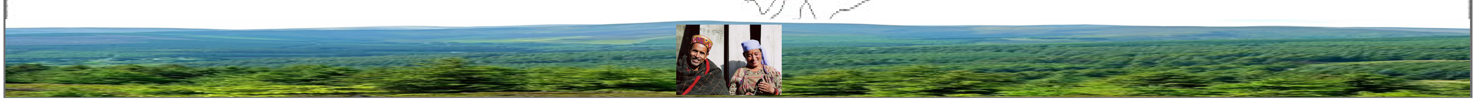

जयराम ठाकुर
मुख्यमन्त्री
हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश सरकार

सन्देश

संयुक्त राष्ट्र एवं भारत सरकार द्वारा 2030 तक निर्धारित सतत् विकास के 17 वैश्विक लक्ष्यों (Global Sustainable Development Goals) को पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित करने हेतु मेरी सरकार कृत संकल्प है। यह एक साहसिक वैश्विक समझौता है जो वर्ष 2030 तक गरीबी, भुखमरी आदि समस्याओं को समाप्त करने के साथ–साथ प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान, समृद्ध, न्यायपूर्ण और सुरक्षित वातावरण का सृजन करेगा।

सतत् विकास हेतु 17 वैश्विक लक्ष्यों (Global Sustainable Development Goals) निर्धारित करते हुए 5Ps (People, Planet, Peace, Prosperous तथा Partnership) पर विशेष बल दिया गया है। सतत् विकास के तीनों आयामों–सामाजिक समावेशन, आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने से ही दीर्घकालीन एवं चिरस्थाई विकास संभव है।

मेरी सरकार ने अधिकांश लक्ष्यों की आपूर्ति हेतु वर्ष 2022 तक की समय सीमा निर्धारित की है। अन्य लक्ष्यों को भी 2030 तक या उससे पूर्व प्राप्त कर लिया जाएगा। इस पुस्तिका में विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का वर्णन किया गया है।

मैं अपनी सरकार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को आश्वासन देना चाहूंगा कि प्रदेश के चहुँमुखी विकास हेतु भरसक प्रयत्न किए जाएंगे और इस दिशा में सभी प्रदेशवासियों की भागीदारी के लिए अपील करना चाहूँगा।

(जयराम ठाकुर)

सतत् विकास लक्ष्य :

- ⇒ 15 वर्षों (2000–2015) से चल रहे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स) की जगह अब सतत् विकास लक्ष्य हैं, जिनकी अवधि वर्ष 2016 से 2030 तक है।
- ⇒ यह एक साहसिक वैश्विक समझौता है जो वर्ष 2030 तक गरीबी, भुखमरी आदि समस्याओं को समाप्त करते हुए सबके लिए एक समान, समृद्ध, न्यायपूर्ण और सुरक्षित विश्व की सृष्टि करेगा।
- ⇒ सतत् विकास हेतु, वैश्विक स्तर पर 17 SDGs (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) एवं 169 टारगेट्स निर्धारित करते हुए 5Ps (People, Planet, Peace, Prosperous तथा Partnership) पर विशेष जोर दिया गया है।
- ⇒ सतत् विकास के तीनों आयामों – सामाजिक सम. ावेशन, आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने से ही दीर्घकालीन टिकाऊ विकास संभव है।

सतत् विकास लक्ष्य

1. प्रदेश में सभी प्रकार की गरीबी का अन्त करना।
2. भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, कुपोषण को समाप्त करना तथा सतत् कृषि को बढ़ावा देना।
3. स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए उन्नत स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
4. समावेशी, न्यायसंगत एवं गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना।
5. लैंगिक समानता प्राप्त करना तथा बालिकाओं एवं महिलाओं का सशक्तीकरण।
6. सभी के लिए स्वच्छ जल, स्वच्छता एवम् सतत् प्रबन्धन सुनिश्चित करना।
7. सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, सतत् एवं आधुनिक उर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
8. सभी के लिए सतत्, समावेशी एवं चिरस्थायी आर्थिक विकास, पूर्ण एवं लाभकारी और उचित रोज़गार को बढ़ावा देना।
9. सुदृढ़ मूलभूत अधोसंरचना का निर्माण करना, सतत् एवं दीर्घकालिक औद्योगीकरण को बढ़ावा देना तथा नवाचार को प्रोत्साहित करना।
10. अन्तर्राज्यीय और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थित असमानताओं को कम करना।
11. शहरों एवं आबादी क्षेत्रों का समावेशी, सुरक्षित, सुदृढ़ और सतत् विकास।
12. सतत् उपभोग एवं उत्पादन पद्धति सुनिश्चित करना।
13. जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभावों से निपटने के लिए तात्कालिक कार्रवाई करना।
14. सतत् विकास के लिए जल संसाधनों का संरक्षण और इनका सतत् उपयोग।
15. राज्य के इको–सिस्टम का संरक्षण एवं पुर्नस्थापन और इनके सतत् उपयोग को बढ़ावा देना, सतत् वन प्रबन्धन, मरूस्थल– रोधी उपाय करना, भूमि अवक्रमण को रोकना और जैव–विविधता की हानि को रोकना।
16. सतत् विकास के लिए शान्त और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय उपलब्ध करवाना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेही और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना।
17. कार्यन्वयन प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण करना और सतत् विकास के लिए वैश्विक भागीदारी सुनिश्चित करना।

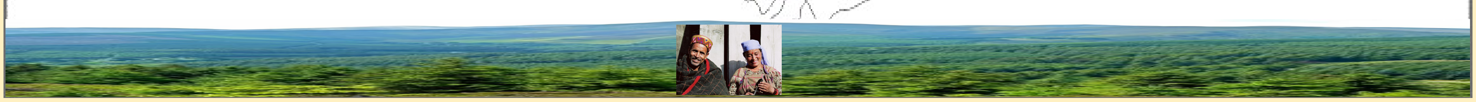

1. प्रदेश में सभी प्रकार की गरीबी का अन्त करना

1.1 2022 तक, प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी को 8.1 से 2 प्रतिशत तक लाना।

1.2 2030 तक, प्रदेश के सभी पुरूषों, महिलाओं एवं बच्चों में व्याप्त गरीबी को पूरी तरह समाप्त करना।

1.3 2030 तक सभी गरीब तथा कमज़ोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से जोड़ना।

1.4 2030 तक, सभी पुरूषों तथा महिलाओं, विशेषकर गरीब एवं कमज़ोर वर्गों को आधारभूत सेवाएं, आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों तथा सभी प्रकार की सम्पत्ति पर नियन्त्रण, एवं माइक्रो फाईनैंस सहित विभिन्न वित्तीय सेवाएं सुनिश्चित करना।

1.5 2030 तक, गरीब और कमज़ोर वर्गों को विपरीत परिस्थितियों से जूझने के लिए सक्षम बनाना तथा विभिन्न पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक आपदाओं को कम करना।

1.क सहभागीदारी के माध्यम से संसाधनों का सतत् प्रबन्धन सुनिश्चित करना तथा सभी प्रकार की गरीबी दूर करने के लिए राज्य स्तर पर विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना।

1.ख राज्य एवं क्षेत्रीय स्तर पर आवश्यक निवेश द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न लैंगिक समानता पर आधारित विकास नीतियां तथा सुदृढ़ नीति फ्रेमवर्क बनाना।

लक्ष्य 1 की प्राप्ति हेतु योजनाएं

1. खुला शौच मुक्त ग्रामीण क्षेत्र
2. मुख्यमंत्री आवास योजना
3. अन्त्योदय अन्न योजना (AAY)
4. JICA द्वारा प्रायोजित “हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना”
5. हिमाचल प्रदेश कौशल विकास योजना
6. वृद्धावस्था पेंशन योजना
7. कुष्ठ रोगी पेंशन योजना
8. विकलांग पेंशन योजना
9. विधवा पेंशन योजना
10. मिड–डे–मील योजना
11. केन्द्रीय ग्रामीण पेयजल योजना
12. प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना
13. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)
14. प्रधानमंत्री जन धन योजना
15. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
16. केन्द्रीय प्रायोजित अटल पेंशन योजना
17. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना
18. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
19. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
20. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना
21. प्रधानमंत्री आवास योजना
22. केन्द्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
23. केन्द्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
24. मनरेगा योजना
25. मुद्रा योजना
26. राज्य प्रायोजित आवास योजनाएं

2. भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत् कृषि को बढ़ावा देना

2.1 2030 तक, नवज़ात शिशुओं एवं 5 साल से नीचे के बच्चों की मृत्यु–दर को न्यूनतम स्तर पर पहुँचाना, भुखमरी समाप्त करना तथा वर्ष भर सभी को विशेषकर गरीब एवं बदहाल व्यक्तियों को सुरक्षित, पोषक एवं पर्याप्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

2.2 2030 तक, सभी प्रकार के कुपोषण का अन्त करना, 2025 तक 5 साल से निम्न बच्चों में बौनापन एवं अपक्ष्य के लिए राज्य स्तर पर तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ–साथ किशोरियों, गर्भवति एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं एवं वृद्ध लोगों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना।

2.3 2030 तक, छोटे स्तर के खाद्य उत्पादकों की आय एवं कृषि उत्पादकता को दोगुना करना, विशेषकर महिलाओं, किसानों, चारापालकों एवं मछली पालकों को भूमि का सुरक्षित एवं समान अधिकार, अन्य उत्पादक संसाधनों एवं मूल्यों, ज्ञान, वित्तीय संसाधनों, मार्केट एवं मूल्यवृद्धि के अवसर एवं गैर–कृषि रोज़गार प्रदान करना।

2.4 2030 तक, सतत् खाद्य उत्पादन प्रक्रमों एवं लचीले कृषि अभ्यासों को क्रियान्वित करना जिससे उत्पादन एवं उत्पादकता की वृद्धि हो, जो पारिस्थितिकी को बनाए रखने में सहायता करे, जिससे जलवायु परिवर्तन, विषम जलवायु, सूखा, बाढ़ एवं अन्य आपदाओं की अनुकूलता के लिए क्षमतावर्धन हो और भूमि एवं मिट्टी की गुणवत्ता में प्रगतिशील सुधार हो।

2.5 2020 तक, बीज़ों की अनुवंशिक विविधता, संवर्धित पौधों, जोत एवं पालतु पशुओं एवं उनसे संबंधित जंगली प्रजातियों को बचाना। राज्य एवं क्षेत्रीय स्तरों पर विभिन्न प्रकार के बीज़ एवं पौधा बैंक के सही प्रबन्धन के द्वारा, अनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से जनित समान एवं उचित लाभ की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना।

2.क बेहतर विकास सहयोग द्वारा निवेश को बढ़ाना, ग्रामीण ढांचों, कृषि शोध एवं प्रसार सेवाओं, पौधों एवं पशुओं के वंशाणु या जीन बैंक, जिससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि उत्पादक क्षमता बढ़ाई जा सके।

2.ख राज्य स्तरीय कृषि बाज़ारों में व्यापार प्रतिबंधों एवं बिक्री प्रक्रियाओं को संशोधित करना।

2.ग खाद्य सामग्री बाज़ारों एवं उनके यौगिकों की उचित कार्यशीलता सुनिश्चित करने सम्बन्धी मानकों को अपनाना एवं समय पर बाजार सम्बन्धित सूचनाओं की उपलब्धता को सहज बनाना जिससे खाद्य सुरक्षा के साथ, खाद्य मूल्यों में तीव्र परिवर्तन को सीमित करने में सहयोग किया जा सके।

लक्ष्य–2 की प्राप्ति हेतु योजनाएं

1. एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS)
2. एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS)
3. किशोरी शक्ति योजना
4. केन्द्रीय प्रयोजित किशोरी सशक्तिकरण योजना (SABLA)
5. केन्द्रीय प्रयोजित मातृत्व सहयोग योजना
6. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS)
7. अन्त्योदय अन्न योजना (AAY)
8. राष्ट्रीय शिक्षा हेतु पोषण सम्बन्धी सहायता का केन्द्रीय कार्यक्रम (NP-NSPE)
9. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
10. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)
11. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
12. कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)
13. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFFBY)
14. सतत् कृषि राष्ट्रीय मिशन (NMSA)
15. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
16. केन्द्रीय प्रयोजित किसान स्वरोज़गार योजना
17. केन्द्रीय प्रयोजित सूक्ष्म सिंचाई योजना
18. मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना
19. JICA द्वारा प्रायोजित "हिमाचल प्रदेश फसल विविधकरण संवर्धन परियोजना"
20. बगवानी एकीकृत विकास मिशन (MIDH)
21. हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना
22. राष्ट्रीय पशुधन मिशन
23. नील क्रांति मिशन
24. हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम
25. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
26. हिमाचल प्रदेश दुग्ध महासंघ/डेयरी विकास
27. राष्ट्रीय लाइवस्टॉक मिशन
28. किसान कैडिट कार्ड

3. स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए बेहतर स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना

3.1 2030 तक, प्रति 1,00,000 जीवित प्रसव पर मातृ मृत्यु–दर को कम करना।

3.2 2022 तक, शिशु मृत्यु–दर को प्रति हजार 35 से 20 तक कम करना।

3.3 2030 तक, एड्स, क्षयरोग, मलेरिया एवं उपेक्षित तीव्र रोगों के संक्रमण को खत्म करना और हैपिटाइटस, जलजनित एवं अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम करना।

3.4 2030 तक, असंक्रामक रोगों से होने वाली आसमयिक मृत्यु का उपचार एवं रोकथाम तथा मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देना।

3.5 नशीले पदार्थों, दवाओं एवं अल्कोहल/शराब के हानिकारक उपयोग की रोकथाम तथा इनसे ग्रसित लोगों का उपचार सुनिश्चित करना।

3.6 2020 तक, राज्य में सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली हानि एवं मृत्यृ संख्या को आधा करना।

3.7 2030 तक, परिवार नियोजन, सूचना, संचार एवं राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों में प्रजनन स्वास्थ्य को जोड़ कर यौन एवं प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना।

3.8 वित्तीय जोखिम संरक्षण, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और सभी के लिए सुरक्षित, प्रभावी गुणवत्ता और सस्ती दवाईयों एवं टीकों की पहुंच के साथ व्यापक एवं सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना।

3.9 2030 तक, हानिकारक रसायनों एवं वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण और गंदगी से होने वाली बीमारियों और मृत्यु संख्या को कम करना।

3.क तम्बाकू नियन्त्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क समझौते के क्रियान्वयन को मजबूत बनाना।

3.ख राज्य में मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले संक्रमित एवं असंक्रमित रोगों के लिए दवाईयों एवं टीकों के शोध एवं विकास के लिए सहयोग करना, सस्ती एवं जरूरी दवाईयों एवं टीकों तक पहुंच प्रदान करना।

3.ग राज्य एवं क्षेत्रीय स्तर पर पूर्व सांकेतिक जोखिमों में कमी और स्वास्थ्य जोखिमों के प्रबन्धन के लिए राज्य की क्षमता को सुदृढ़ बनाना।

लक्ष्य–3 की प्राप्ति हेतु योजनाएं

1. राष्ट्रीय ऐंबुलेंस योजना (NAS-108)
2. जननी सुरक्षा योजना (JSY)
3. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
4. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)
5. राष्ट्रीय स्वस्थ्य बीमा योजना (RSBY)
6. मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देख–भाल योजना
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)
8. जेनेरिक दवाइयों हेतू जन–औषधि केन्द्र
9. राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यकम
10. राष्ट्रीय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम

4. समावेशी, न्यायसंगत एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना

4.1 2030 तक, उपयुक्त एवं प्रभावी शिक्षा के परिणामों के साथ सभी लड़के तथा लड़कियों को पूर्ण, मुफ्त, समान एवं गुणात्मक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना।

4.2 2030 तक, सभी लड़के तथा लड़कियों को गुणात्मक नर्सरी शिक्षा एवं देखभाल यानि प्री–प्राईमरी शिक्षा सुनिश्चित करना ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें।

4.3 2030 तक, सभी महिलाओं तथा पुरूषों को सस्ती, गुणात्मक वोकेशनल एवं विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित करना।

4.4 2030 तक, उचित रोज़गार तथा उद्यमिता के लिए, तकनीकी एवं वोकेशनल योग्यताओं के साथ, उचित क्षमताओं वाले युवाओं एवं व्यस्कों की संख्या बढ़ाना।

4.5 2030 तक, शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को दूर करना तथा कमज़ोर वर्गों, दिव्यांगजनों, मार्मिक स्थिति में रहने वाले लोगों एवं बच्चों को शिक्षा के सभी स्तरों एवं वोकेशनल प्रशिक्षण की पहुंच सुनिश्चित करना।

4.6 2030 तक, सभी युवाओं और व्यस्कों, पुरुषों एवं महिलाओं को साक्षरता एवं अंक ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करना।

4.7 2030 तक, सभी को सतत् विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी ज्ञान एवं दक्षता सुनिश्चित करना, जिसमें सतत् विकास के लिए सतत् जीवन शैलियों, मानव अधिकार, लैंगिक समानता, अहिंसा एवं शांति के माहौल को प्रोत्साहित कर, वैश्विक नागरिकता एवं सतत् विकास के लिए सांस्कृतिक विभिन्नता एवं सांस्कृतिक योगदान हो।

4.क ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण और स्तरोन्नयन करना जो बच्चों, दिव्यांगों और स्त्री–पुरुषों की समानता के प्रति संवेदनशील हों और सभी के लिए शिक्षा–प्राप्ति के सुरक्षित, अहिंसात्मक, सम. ावेशी और कारगर परिवेश उपलब्ध कराती हों।

4.ख 2020 तक, राज्य स्तर पर मौजूद छात्रा वृत्तियों की संख्या बढ़ाना, जिससे क्षेत्रीय स्तर में व्यवसायिक प्रशिक्षण और सूचना एवं तकनीकी संचार, प्रोद्यौगिकी, इन्जीनियरिंग, वैज्ञानिक कार्यक्रमों के साथ उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बढ़े।

4.ग 2030 तक, राष्ट्रीय सहयोग द्वारा राज्य में अध्यापकों के प्रशिक्षण के साथ मूल रूप से योग्य अध्यापकों की आपूर्ति बढ़ाना।

लक्ष्य–4 की प्राप्ति हेतु योजनाएं

1. सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
2. कस्तूरबा गान्धी बालिका विद्यालय योजना
3. मिड–डे–मील योजना (MDM)
4. महात्मा गान्धी मुफ्त वर्दी योजना – पहली कक्षा से बारहवीं तक
5. मुफ्त बस यात्रा सरकारी एवं केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के लिये
6. जिला चम्बा में "साक्षर भारत कार्यक्रम"
7. दिव्यांग छात्रवृति योजना

8. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)
9. माध्यमिक शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु लड़कियों के लिए राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना
10. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम
11. अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति
12. अनुसूचित जाति छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति
13. अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित छात्रों के लिए मैरिट एवं साधन छात्रवृत्ति योजना
14. अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

15. मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना
16. राष्ट्रीय साधन एवं मैरिट छात्रवृत्ति योजना
17. दिव्यांग छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
18. डि–नोटिफाईड, घुमन्तू एवं अर्द्ध–घुमन्तू जनजातियों के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
19. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रेरणा एवं प्रयास कार्यक्रम
20. मुख्यमंत्री ग्राम दीप योजना

21. मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान योजना
22. साक्षर भारत मिशन
23. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना
24. दसवीं तथा बाहरवीं के मेधावी छात्रों/छात्राओं को नोटबुक/लैपटाप
25. गुरुकुल आवास योजना (जनजातीय क्षेत्रों के अध्यापकों के लिए)
26. अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल
27. जनजातीय उप–योजना के तहत माध्यमिक स्तर पर विकलांगों को समावेशी शिक्षा

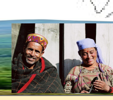

5. लैंगिक समानता प्राप्त करना तथा लड़कियों एवं महिलाओं का सशक्तिकरण करना

5.1 लड़कियों एवं महिलाओं के साथ होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों का अन्त करना।

5.2 सार्वजनिक जगहों में लड़कियों एवं महिलाओं की खरीद–फरोख्त, लैंगिक तथा अन्य सभी प्रकार की प्रताड़नाओं तथा हिंसा को खत्म करना।

5.3 सभी हानिकारक प्रथाओं जैसे कि बाल, समय पूर्व, जबरदस्ती विवाह और महिला जननांग विकृति का अंत करना।

5.4 राज्य में महिलाओं द्वारा उनके घर एवं परिवार में किए गए कार्य, देखभाल एवं घरेलु कार्य के लिए राष्ट्रीय प्रावधानों के अनुसार मूल्याँकन।

5.5 महिलाओं को राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में सभी स्तरों पर सम्पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी और नेतृत्व के समान अवसर सुनिश्चित करना।

5.6 महिलाओं को लैंगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकार सुनिश्चित करना।

5.क राज्य में महिलाओं को आर्थिक अधिकारों के साथ–साथ सम्पत्ति पर स्वामित्व एवं नियन्त्रण, वित्तीय सेवाओं, विरासत एवं प्राकृतिक स्त्रोतों पर अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सुधार करना।

5.ख महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए उचित तकनीक, विशेषकर सूचना एवं संचार तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा।

5.ग राज्य में लैंगिक समानता एवं सभी स्तरों पर सब महिलाओं तथा लड़कियों के सशक्तीकरण के लिए उचित कानून एवं नीतियों को लागू करना।

लक्ष्य–5 की प्राप्ति हेतु योजनाएं

1. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
2. विधवा/बेसहारा/एकल महिला पेंशन योजना
3. विधवा पुर्नविवाह योजना
4. मदर टैरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना
5. महिलाओं के लिये स्वरोजगार योजना
6. बेटी है अनमोल योजना
7. किशोरी शक्ति योजना
8. केन्द्रीय प्रयोजित महिला एडोलोसेंट सशक्तिकरण योजना
9. माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना
10. विशेष महिला उत्थान योजना
11. बलात्कार पीड़ितों के लिये सहायता अनुदान एवं सहायता सेवाएं
12. बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना
13. महिला कल्याण बोर्ड
14. महिला विकास निगम
15. राज्य महिला आयोग
16. स्वयं सहायता समूह
17. कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन शोषण पर रोकथाम
18. मातृत्व लाभ योजना
19. किशोरी समग्र विकास योजना
20. मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना
21. केन्द्रीय/राज्य प्रायोजित क्रैच स्कीम
22. केन्द्रीय/राज्य प्रायोजित किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण हेतू योजना (सबला)
23. केन्द्रीय/राज्य प्रायोजित मातृत्व सहयोग योजना
24. बाल–बालिका आश्रम
25. शिशु गृह
26. महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्र

6. सभी के लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता एवं सतत् प्रबन्धन सुनिश्चित करना।

6.1 2030 तक, सभी को सस्ता एवं सुरक्षित जल की व्यापक एवं समान उपलब्धता।

6.2 2030 तक, सभी के लिए उचित एवं समान सफाई एवं स्वच्छता की व्यवस्था तथा प्रदेश को खुला शौच मुक्त करना, महिलाओं एवं लड़कियों एवं अन्य कमज़ोर वर्गों की जरूरतों की ओर विशेष ध्यान देना।

6.3 2030 तक, हानिकारक रसायनों एवं पदार्थों के निकास एवं डम्पिंग को रोक कर पानी की गुणवत्ता में सुधार लाना और पूरे राज्य में सुरक्षित पानी के पुर्नपयोग को बढ़ावा।

6.4 2030 तक, सभी सैक्टर में पानी के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा एवं पानी की कमी के मुद्दे को ताजे एवं स्वच्छ पानी की सतत् पूर्ति से सुनिश्चित करना, तथा पानी की कमी से जूझ रहे लोगों की संख्या को कम करना।

6.5 2030 तक, सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन को उपयुक्त भागीदारी द्वारा क्रियान्वित करना।

6.6 2020 तक, जल सम्बन्धि पारिस्थितिकी, पर्वतों, वनों, दलदल युक्त भूमि, नदियों एवं झीलों इत्यादि का पुनः भण्डारण एवं संरक्षण करना।

6.क 2030 तक, राज्य में जल एवं स्वच्छता सम्बन्धि गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के अन्तर्गत जल संरक्षण, जल उपयोग, व्यर्थ जल उपचार एवं दोबारा पुर्नउपयोग से संबधी तकनीकों के साथ क्षमता वर्धन।

6.ख जल एवं स्वच्छता प्रबन्धन के सुधार में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को सुनिश्चित करना।

लक्ष्य–6 की प्राप्ति हेतु योजनाएं

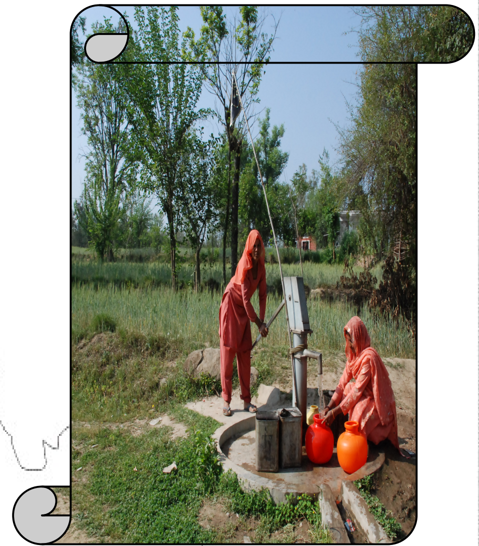

1. अटल जीर्णोद्धार एवं शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT)
2. संपूर्ण स्वच्छता अभियान
3. महर्षि बाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता पुरस्कार
4. महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना
5. स्कूल स्वच्छता पुरस्कार योजना
6. स्वच्छ भारत मिशन/शौचालयों का निर्माण
7. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP)
8. कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक (NABARD) की योजनाएं
9. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम
10. वाटर–शेड कार्यक्रम
11. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MNREGA)
12. एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम (IWRM)
13. राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन कार्यक्रम (NWCMP)
14. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
15. केन्द्रीय प्रायोजित सीवरेज योजना का निर्माण, रख–रखाव एवं एकीकरण
16. हैंडपंपों की स्थापना एवं रख–रखाव
17. बाह्य सहायता प्राप्त सीवरेज परियोजनाएं

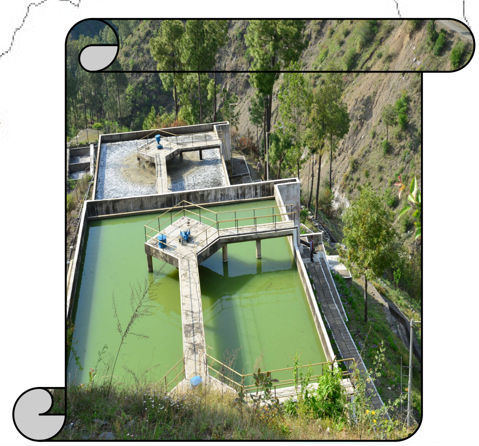

7. सभी के लिए सस्ती, भरोसेमंद, सतत् एवं आधुनिक उर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

7.1 2030 तक, राज्य में सस्ती, विश्वसनीय एवं आधुनिक ऊर्जा की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करना।

7.2 2030 तक, राज्य ऊर्जा उत्पादन में नवीकरण ऊर्जा के भाग को बढ़ाना।

7.3 2030 तक, ऊर्जा क्षमता सुधार की दर को दोगुना करना।

7.क 2030 तक, स्वच्छ ऊर्जा हेतु शोध एवं तकनीक, नवीकरण ऊर्जा, ऊर्जा क्षमता, विकसित ईंधन तकनीक की उपलब्धता के लिए राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना और ऊर्जा सम्बन्धित अधोसंरचना एवं स्वच्छ ऊर्जा तकनीक में नि. वेश को प्रोत्साहित करना।

7.ख 2030 तक, सभी के लिए आधुनिक एवं सतत् ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए तकनीक को अपग्रेड एवं अधोसंरचना को विस्तृत करना। पूर्व सांकेतिक जोखिमों में कमी और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य जोखिमों के

लक्ष्य–7 की प्राप्ति हेतु योजनाएं

1. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)
2. उजाला योजना
3. त्वरित ऊर्जा विकास पुनर्गठन योजना (R-APDRP)
4. एकीकृत बिजली विकास योजना (IPDS)
5. स्मार्ट ग्रिड परियोजनायें

6. हरित ऊर्जा कॉरिडोर योजना
7. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना
8. सौर ऊर्जा के उपयोग हेतु प्रोत्साहन योजनाएं
9. प्रधानमंत्री सहज बिजली घर–घर योजना 2019 तक “सौभाग्य”

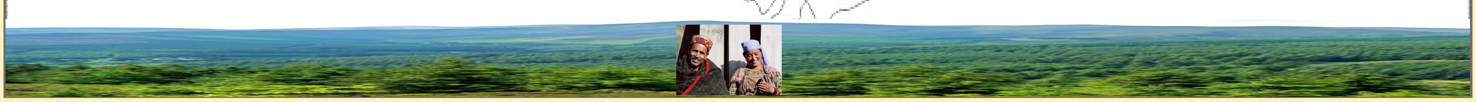

8. सभी के लिए सतत्, समावेशी एवं चिरस्थायी आर्थिक विकास, पूर्ण एवं लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा देना

8.1 राज्य की परिस्थितियों के अनुसार प्रति व्यक्ति आर्थिक वृद्धि दर और विशेषकर प्रति वर्ष कम से कम 7 प्रतिशत सकल घरेलु उत्पाद वृद्धि दर बनाए रखना।

8.2 तकनीकी विकास एवं नवाचार के माध्यम से उच्च उत्पादकता एवं श्रम केन्द्रित क्षेत्रों में विविधीकरण द्वारा आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना।

8.3 उत्पादक कार्यकलापों, उचित रोज़गार सृजन, उद्यमिता, सृजनात्मकता एवं नवोन्मेष का समर्थन करने वाली विकासोन्मुखी नीतियों को बढ़ावा देना और वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करना।

8.4 राज्य में विकसित देशों की पहल के अनुसार, सतत् उपभोग और उत्पादन संबन्धी कार्यक्रम (10 वर्षीय रूपरेखा के अनुसार), आर्थिक विकास को पर्यावरणीय अवक्रमण से अलग करने का प्रयास करना तथा संसाधनों के उपभोग और उत्पादन में वैश्विक कुशलता में 2030 तक क्रमिक रूप से सुधार लाना।

8.5 2030 तक, युवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों सहित सभी महिलाओं और पुरूषों के लिए पूर्ण एवं लाभकारी रोज़गार और उचित कार्य की उपलब्धता तथा समान कार्य के लिए समान भुगतान सुनिश्चित करना।

8.6 2020 तक, रोजगार, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण से वंचित युवाओं के अनुपात को कम करना।

8.7 बेगारी का उन्मूलन करने और बाल मजदूरी एवं मानव तस्करी का अंत और उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए तात्कालिक और कारगर उपाय करना और 2025 तक बाल सैनिकों की भर्ती और उपयोग सहित सभी प्रकार की बाल मजदूरी का अन्त करना।

8.8 प्रवासी कामगारों और विशेष रूप से महिला प्रवासी कामगारों तथा अनिश्चित रोज़गारों में कार्यरत कामगारों सहित सभी कामगारों के लिए सुरक्षित कार्य परिवेश को बढ़ावा देना।

8.9 2030 तक, रोज़गार का सृजन करने वाले तथा स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को बढ़ावा देने की नीतियां तैयार करना।

8.10 सभी के लिए बैंकिंग, बीमा, और वित्तीय सेवाओं की पहुंच को प्रोत्साहित और सुनिश्चित करने हेतु घरेलु वित्तीय संस्थाओं की क्षमता का सुदृढ़ीकरण करना।

8.क 2020 तक, युवाओं के लिए राज्य स्तरीय कार्यनीति तैयार कर उसे लागू करना तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वैश्विक रोजगार समझौते को कार्यान्वित करना।

लक्ष्य–8 की प्राप्ति हेतु योजनाएं

1. हिमाचल प्रदेश कौशल विकास योजना
2. प्रधानमंत्री जन–धन योजना (PMJDY)
3. स्किल इण्डिया मिशन
4. स्टैंड–अप इण्डिया मिशन
5. स्टार्ट–अप इण्डिया मिशन
6. प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना
7. मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना
8. मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन
9. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MNREGA)

9. सुदृढ़ मूलभूत अधोसंरचना का निर्माण करना, सतत् एवं दीर्घकालिक औद्योगीकरण को बढ़ावा देना तथा नए नवाचार को प्रोत्साहित करना

9.1 आर्थिक विकास और मानव कल्याण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय और सीमा-पार अवसंरचना सहित गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, संधारणीय (sustainable) और समुत्थानशील अवसंरचना का विकास करना।

9.2 समावेशी एवं संधारणीय (sustainable) औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और 2030 तक राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार रोज़गार और सकल घरेलु उत्पाद में उद्योग की हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि करना।

9.3 लघु उद्योगों तथा अन्य उद्यमों के लिए सस्ते ऋण सहित वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता तथा मूल्य श्रृंखलाओं और बाज़ारों में उनके एकीकरण की व्यवस्था।

लक्ष्य–9 की प्राप्ति हेतु योजनाएं

1. खाद्य प्रसंस्करण राज्य मिशन (SMFP)
2. मुख्यमंत्री स्टार्ट–अप योजना
3. रेशम उत्पादन योजना
4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
5. राज्य उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (SCDP)

6. ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम/ग्रामीण दस्तकारी कार्यक्रम (RIP/RAP)
7. बद्दी–बरोटीवाला–नालागढ़ विकास प्राधिकरण (BBNDA)
8. स्टेट ऑफ आर्ट औद्योगिक क्षेत्रों का सृजन
9. ग्रामीण अभियांत्रिक आधारित प्रशिक्षण
10. औद्योगिक परामर्श, पदोन्नति एवं प्रशिक्षण योजना
11. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम
12. हथकरघा उद्योगों का विकास
13. खादी उद्योगों का विकास
14. औद्योगिक क्षेत्रों/संपत्ति का विकास
15. केन्द्रीय परिवहन सब्सिडी/भाड़ा सब्सिडी योजना
16. आपदा जोखिम में कमी (Disaster Risk Reduction)

17. निर्यात और संबद्ध गतिविधियों के आधारभूत ढाँचे के विकास हेतु राज्यों को सहायता (ASIDE) योजना

18. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
19. मेक इन इण्डिया मिशन

10. अन्तर्राज्यीय और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थित असमानताओं को कम करना

10.1 2030 तक, आबादी के सबसे पिछड़े 40 प्रतिशत लोगों की आय को राज्य की आय से अधिक दर से बढ़ाना तथा उसे बनाए रखना।

10.2 2030 तक, हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक रूप से सशक्त बन. ाना, चाहे वे किसी भी उम्र, लिंग, प्रजाति, मूल, धर्म के हों।

10.3 सभी को समान अवसर सुनिश्चित करना तथा आय की असमानता को कम करना जिसके लिए भेदभावपूर्ण कानूनों, नीतियों और व्यवहारों को समाप्त करना।

10.4 वित्तीय प्रबन्धन, वैतनिक तथा सामाजिक सरंक्षण नीतियों को लागू करना।

10.5 लोगों का व्यवस्थित, सुरक्षित, नियमित तथा उत्तरदायी प्रवास तथा गतिशीलता को सुगम बनाना जिसमें सुनियोजित एवं सुप्रबन्धित प्रवास नीतियां शामिल हैं।

लक्ष्य–10 की प्राप्ति हेतु योजनाएं

1. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MNREGA)

2. हिमाचल प्रदेश कौशल विकास योजना

3. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

4. सुगम्य भारत अभियान

5. वित्त आयोग

6. लोक सेवा गारंटी अधिनियम

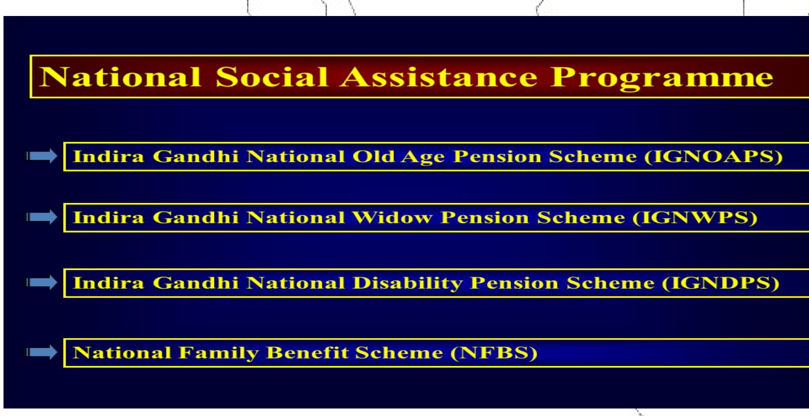

11. शहरों एवं आबादी क्षेत्रों का समावेशी, सुरक्षित, मजबूत और सतत् विकास

11.1 2030 तक, सबके लिए पर्याप्त, सुरक्षित तथा सस्ते मकान और बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा झुग्गी–बस्तियों का विकास करना।

11.2 2030 तक, सबके लिए सुरक्षित, सस्ती तथा सुलभ और संधारणीय (sustainable) परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराना, ताकि सड़क सुरक्षा बढ़े ओर सार्वजनिक परिवहन का विस्तार हो तथा कमज़ोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और आशक्तों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जा सके।

11.3 2030 तक, सभी क्षेत्रों में सहभागितापूर्ण, एकीकृत, संधारणीय (sustainable), मानव पुनर्वास का नियोजन एवं प्रबन्धन।

11.4 प्रदेश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक दावों की सुरक्षा और सुरक्षा के प्रवासों का सुदृढ़ीकरण।

11.5 2030 तक, मौतों की संख्या को काफी कम करना तथा जल आपदाओं सहित अन्य आपदाओं के कारण सकल घरेलू उत्पाद को होने वाले आर्थिक नुकसान से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या में कमी करना जिसमें कमज़ोर परिस्थितियों में रह रहे गरीबों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया हो।

11.6 2030 तक, नगरों के प्रति व्यक्ति पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को घटाना जिसमें वायु की गुणवत्ता और नगरपालिका तथा अन्य अपशिष्ट प्रबन्धन पर विशेष ध्यान शामिल है।

11.7 2030 तक, खासकर महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और आशक्तों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुगम, हरित और सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराना।

11.क शहरी, अर्ध–शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सकारात्मक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्रीय विकास योजना का सशक्तीकरण करना।

11.ख 2030 तक, नगरों तथा मानव बस्तियों की संख्या में वृद्धि के लिए एकीकृत नीतियों और सम. ावेशन, संसाधन दक्षता तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण हेतु योजनाओं का प्रारूपण और कार्यान्वयन।

11.ग स्थानीय सामग्रियों का उपयोग कर चिरस्थायी और मजबूत भवनों का निर्माण।

लक्ष्य–11 की प्राप्ति हेतु योजनाएं

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
2. ट्रांसपोर्ट नगर योजना
3. हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड प्रबंधन विकास प्राधिकरण
4. परिवहन हेतु परीक्षण केन्द्र
5. सड़क सुरक्षा
6. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
7. दीन दयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)
8. स्मार्ट सिटी मिशन
9. अटल जीर्णोद्धार एवं शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT)
10. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)
11. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
12. कचरा प्रबंधन हेतु स्कीमें

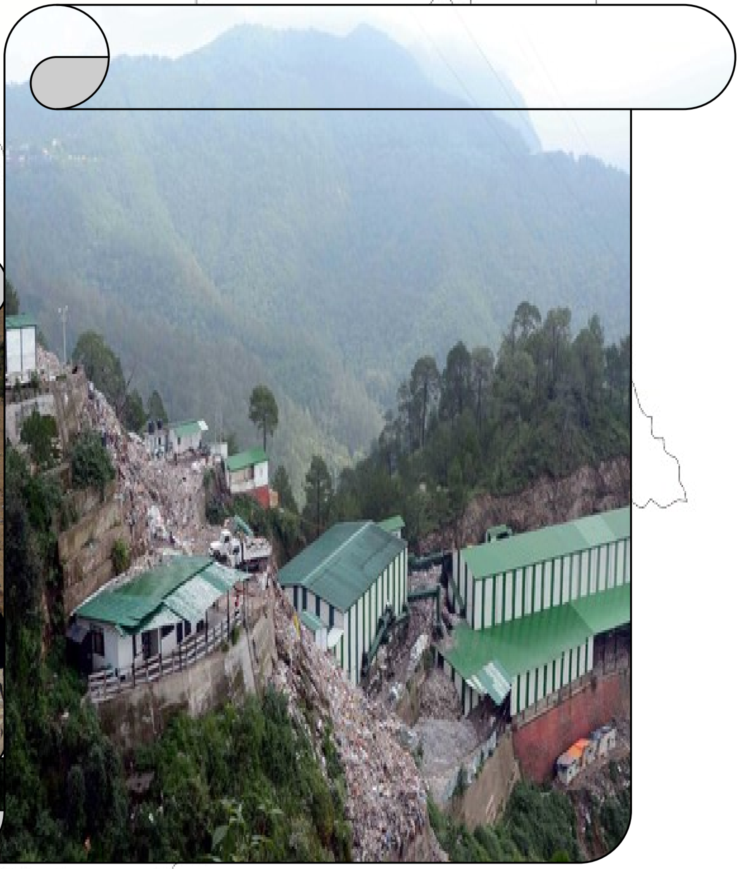

१२. सतत् उपभोग एवं उत्पादन पद्धति सुनिश्चित करना

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

१२.१ सतत् उपभोग तथा उत्पादन संबंधी कार्यक्रम के १० वर्षीय फ्रेमवर्क का कार्यन्वयन।

१२.२ २०३० तक, प्राकृतिक संसाधनों का सतत् प्रबन्धन एवं प्रभावी उपयोग।

१२.३ २०३० तक, खुदरा तथा उपभोग स्तरों पर प्रति व्यक्ति राज्य खाद्य अपशिष्ट को आधा करना तथा उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य पदार्थों को होने वाले नुक्सान को कम करना जिसमें फसल कटाई के बाद होने वाला नुक्सान भी शामिल है।

१२.४ २०३० तक, रसायनों तथा सभी अपशिष्टों का उनके पूरे जीवनचक्र के दौरान पर्यावरणीय दृष्टि से ठोस प्रबन्धन करना जो अन्तर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अनुरूप हों तथा वायु, जल और मिट्टी में उनके मिलने की संभावना को कम करना ताकि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सके।

१२.५ २०३० तक, अपशिष्ट सृजन की रोकथाम, पुनावर्तन तथा पुर्नपयोग द्वारा कमी लाना।

१२.६ कम्पनियों और खासकर बड़ी और अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के संधारणीय (sustainable) व्यवहार को अंगीकृत करने तथा संधारणीय (sustainable) सूचना को उनकी रिपोर्टिंग चक्र में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना।

१२.७ सार्वजनिक खरीददारी व्यवहारों को बढ़ावा देना जो संधारणीय (sustainable) ओर राष्ट्रीय नीतियों तथा प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।

१२.८ विकास और जीवनशैली संबंधी सूचना जो प्रकृति के अनुरूप हो का प्रसार एवं लोगों में जागरूकता।

१२.क राज्य के विकासशील क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना ताकि वे अधिक संधारणीय (sustainable) उपभोग और उत्पादन पद्धतियों को अपनाने के लिए अपनी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्षमता को सुदृढ़ कर सकें।

१२.ख संधारणीय (sustainable) पर्यटन के लिए संधारणीय (sustainable) विकास प्रभावों के अन. ुवेक्षण संबधी औजारों का विकास तथा कार्यन्वयन करना जिससे रोज़गार के अवसर सृजित हों तथा स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को बढ़ावा मिले।

लक्ष्य–12 की प्राप्ति हेतु योजनाएं

1. नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन
2. पर्यावरण नीति
3. जीवाश्म ईंधन जलने पर पूर्ण पाबंदी
4. एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन
5. जैविक खेती नीति
6. सौर उर्जा नीति
7. वायु गुणवत्ता की निगरानी
8. खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण उद्योग
9. अनाज एवं नियंत्रित वातावरण स्टोर
10. अपशिष्ट संग्रह, उपचार एवं निपटान सुविधा
11. घर–घर कचरा संग्रह
12. बायोकॉम्पोस्टिंग/वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां

13. जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभावों से निपटने के लिए तात्कालिक कार्यवाई करना

13.1 जलवायु संबधी जोखिमों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता तथा उसके अनुकूल बनाने की क्षमता को सुदृढ़ करना।

13.2 नीतियों, कार्यनीतियों और नियोजन में जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करना।

13.3 जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन, प्रभाव उपशमन तथा शीघ्र चेतावनी संबंधी शिक्षा, जागरूकता वृद्धि और मानवीय तथा सांस्थानिक क्षमता को बढ़ाना।

13.क सार्थक न्यूनीकरण कार्रवाई तथा कार्यान्वयन में पारदर्शिता के परिपेक्ष्य में अपनी कैपिटलाइजेशन के माध्यम से हरित जलवायु निधि को यथाशीघ्र पूर्णतः प्रचलित करना।

13.ख तकनीक आधारित जलवायु परिवर्तन संबंधी आयोजन तथा प्रबन्धन हेतु क्षमता वृद्धि के लिए उपायों को बढ़ावा देना जिसमें महिलाओं, युवाओं, स्थानीय तथा वंचित समुदायों पर विशेष बल दिया जाना शामिल है।

लक्ष्य–13 की प्राप्ति हेतु योजनाएं

1. हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को कायम रखने हेतु “हिमाचल राज्य ज्ञान जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ (HPKCCC)”
2. ग्रीन इण्डिया मिशन
3. वन परियोजनाएं – KfW की सहायता से हि0 प्र0 वन पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु अशद्धि जाँच परियोजना (H.P. Forest Eco-System Climate Proofing Project-EAP)

15. राज्य के इकोसिस्टम का संरक्षण एवं पुर्नस्थापन और इनके सतत् उपयोग को बढ़ावा देना, सतत् वन प्रबन्धन, मरूस्थल–रोधी उपाय करना, भूमि अवक्रमण को रोकना और परिवर्तित करना और जैवविविधता की हानि को रोकना

15.1 2020 तक, अर्न्तराष्ट्रीय करारों के तहत दायित्वों की तर्ज़ पर कतिपय वनों, आर्द्र प्रदेश, पर्वतों और शुष्क भूमि में भौमिक तथा अंतर्देशीय मीठे जल एवं परितंत्र तथा उसकी सेवा. ओं का संरक्षण, पुनुरूद्धार और संधारणीय (sustainable) उपयोग सुनिश्चित करना।

15.2 2020 तक, सभी प्रकार के वनों के प्रभावी प्रबन्धन को बढ़ावा देना, वनोन्मूलन (deforestation) को रोकना, उजड़े वनों का पुनर्निमाण करना तथा राज्य स्तर पर पुनः वनीकरण को बढ़ावा देना।

15.3 2030 तक, मरूस्थलीकरण को रोकना, मरूस्थलीयकरण, सूखा और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित अवक्रमित (degraded) भूमि तथा मिट्टी का पुनुरूद्धार करना।

15.4 2030 तक, पर्वतीय परिस्थितियों के दृष्टिगत क्षमता बढ़ाने के लिए जैव विविधता सहित संरक्षण सुनिश्चित करना।

15.5 प्राकृतिक पर्यावासों के अवक्रमण को कम करने के लिए तात्कालिक कार्य करना, जैव. विविधता की क्षति को रोकना और 2030 तक संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से रोकना।

15.6 अनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रयोग सुनिश्चित करना और ऐसे संसाधनों की समुचित उपलब्धता बढ़ाना।

15.7 वनस्पति और जीवों की संरक्षित प्रजातियों के अवैध शिकार तथा अवैध तौर पर बेचने की प्रक्रिया को रोकने के लिए तात्कालिक उपाय करना।

15.8 2020 तक, थल और जल परिवतंत्रों में अक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश को रोकने तथा उनके प्रभाव को व्यापक स्तर पर कम करने के लिए उपाय करना और प्रजातियों पर नियन्त्रण रखना तथा उन्मूलन करना।

15.9 2020 तक राज्य और स्थानीय स्तर पर प्रारूपण, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी को कम करने संबंधी कार्यनीतियों तथा जैवविविधता संबंधी मानकों का एकीकरण करना।

15.क जैवविविधता और परितंत्रों के संरक्षण तथा संधारणीय (sustainable) उपयोग के लिए सभी स्त्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाना।

15.ख समावेशीय वन प्रबन्धन के वित्तपोषण हेतु सभी स्त्रोतों से एवं सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण संसाधन जुटाना और संरक्षण तथा पुनःवनीकरण के लिए ऐसे प्रबन्धन के उन्नयन हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन देना।

15.ग संधारणीय (sustainable) आजीविका अवस. रों का पता लगाने के लिए स्थानीय समुदायों की क्षमता बढ़ाकर संरक्षित प्रजातियों के अवैध शिकार तथा अवैध तौर पर बेचने की प्रक्रिया को रोकने के प्रयास करना।

लक्ष्य–15 की प्राप्ति हेतु योजनाएं

1. वन्यजीव संरक्षण
2. हिमालयी प्राणी उद्यान का विकास
3. वन्य जीवन निवास एकीकृत विकास
4. पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान का विकास
5. शीतल रेगिस्तानी जीवमण्डल आरक्षित करने हेतु कार्य योजना
6. प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA)
7. वन प्रबन्धन की गहनता
8. JICA प्रायोजित "हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना
9. विश्व बैंक प्रायोजित हिमाचल प्रदेश वन स्मृद्धि हेतु परियोजना
10. विश्व बैंक प्रायोजित स्त्रोत स्थिरता और जलवायु लचीला वर्षायुक्त कृषि के लिये कैचमैंट उपचार परियोजना
11. नाबार्ड से हि०प्र० वायु लचीला वन प्रबंधन ग्रीन जलवायु निधि परियोजना
12. राष्ट्रीय वनीकरण योजना
13. राष्ट्रीय बांस मिशन
14. चराई (पशुओं हेतू) क्षेत्र का विकास
15. वृक्षों की बढोतरी हेतू सुधार कार्यक्रम/नर्सरी की स्थापना
16. स्मृति वन योजना
17. पुराने वृक्षारोपण का रखरखाव
18. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास
19. हिमाचल प्राणी उद्यान क्षेत्र और Pheasantries विकास योजना

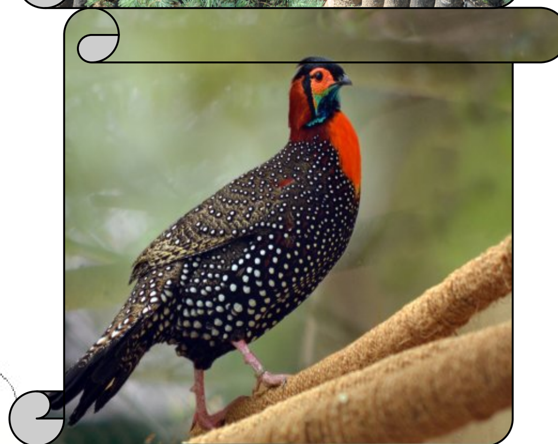

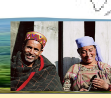

16. सतत् विकास के लिए अमनप्रिय और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय उपलब्ध करवाना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना

16.1 सभी प्रकार की हिंसा और संबधित मृत्यु दरों में व्यापक कमी करना।

16.2 बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, उनके शोषण, अवैध तौर पर बेचने की प्रक्रिया तथा सभी प्रकार की हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करना।

16.3 राष्ट्रीय कानूनी नियमों को बढ़ावा देना और सभी के लिए एक समान न्याय सुनिश्चित करना।

16.4 2030 तक, अवैध वित्तीय प्रसार और हथियार के व्यापार में व्यापक कमी करना, चोरी और सम्पत्तियों की बरामदगी तथा वापसी और सभी प्रकार के संगठित अपराधों से निपटना।

16.5 सभी प्रकार के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में व्यापक कमी करना।

16.6 सभी प्रकार की प्रभावी, जवाबदेह तथा पारदर्शी संस्थाओं का विकास करना।

16.7 सभी स्तरों पर क्रियाशील, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय लेना सुनिश्चित करना।

16.8 वैश्विक शासन वाली संस्थाओं में प्रदेश की भागीदारी को बढ़ाना और सुदृढ़ करना।

16.9 2030 तक जन्म पंजीकरण सहित सभी के लिए कानूनी पहचान उपलब्ध करवाना।

16.10 जनसूचना उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार मौलिक स्वतन्त्रता का संरक्षण करना।

16.क राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हिंसा रोकने तथा अपराध से निपटने के लिए सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण करने हेतु राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से संबधित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करना।

16.ख सतत् विकास हेतु भेदभाव रहित कानूनों और नीतियों को बढ़ावा देना और लागू करना।

लक्ष्य–16 की प्राप्ति हेतु योजनाएं/संस्थागत प्रावधान

1. सड़क दुर्घटना डाटाबेस प्रबन्धन प्रणाली (RADMS)
2. महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना
3. विशेष किशोर पुलिस इकाईयां
4. मुस्कुराहट एवं मुस्कान ऑपरेशन
5. मानव तस्करी निरोधक इकाइयां (AHTU)
6. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट
7. बंदूक इत्यादि शस्त्र के लाइसेंस के लिए SASHATRA सॉफ्टवेयर
8. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
9. राज्य बाल संरक्षण आयोग
10. एकीकृत बाल संरक्षण योजना
11. जन्म–मृत्यु पंजीकरण
12. राज्य महिला आयोग
13. लोकायुक्त व्यवस्था

17. कार्यन्वयन के उपायों का सुदृढ़ीकरण करना और सतत् विकास के लिए वैश्विक भागीदारी का पुनरुद्धार करना

PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

वित्त

17.1 राज्य में कर एवं अन्य राजस्व इकट्ठा करने तथा विभिन्न घरेलु संसाधन जुटाने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना।

17.2 राज्य के लिए उपलब्ध स्त्रोतों से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाना।

17.3 राज्य में यथोचित ऋण वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने, ऋण राहत, ऋण पुर्नसंरचना में लक्षित समन्वित नीतियों के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण संधारणीयता (sustainability) को हासिल करना।

17.4 राज्य में निवेश संवर्धन व्यवस्था को अपनाना और कार्यान्वित करना।

प्रौद्योगिकी

17.5 राज्य में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (innovation) की उपलब्धता बढ़ाना।

17.6 राज्य में पर्यावरणीय रूप से प्रमाणित प्रौद्योगिकियों के विकास, अंतरण, प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देना।

क्षमता–निर्माण

17.7 राज्य में क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से सभी संधारणीय (sustainable) विकास लक्ष्यों को कार्यान्वित करना।

व्यवसाय

17.8 विश्व व्यापार संगठन नियमानुसार सर्वव्यापक, नियम आधारित, खुली भेदभाव रहित और न्यायसंगत बहुपक्षीय व्यवसाय प्रणाली को राज्य में बढ़ावा देना।

17.9 2020 तक राज्य में निर्यात के हिस्से को दोगुना करने की दृष्टि से निर्यात में पर्याप्त वृद्धि करना।

17.10 विश्व व्यापार संगठन के निर्णयों के अनूरूप राज्य में दीर्घकालिक आधार पर शुल्क– मुक्त और कोटा– मुक्त बाजार उपलब्धता का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

नीतिगत और संस्थागत सामंजस्य

17.11 नीतिगत समन्वय एवं सामंजस्य के माध्यम से राज्य में वृहद् आर्थिक स्थायित्व में वृद्धि करना।

17.12 सतत् विकास के लिए नीतिगत सामंजस्य बढ़ाना।

17.13 गरीबी उन्मूलन और संधारणीय (sustainable) विकास हेतु नीतियां तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक राज्य की नीतिगत गुंजाईश और नेतृत्व का आदर करना।

बहु–हितभागी सांझेदारी

17.14 राज्य में बहु–हितभागी सांझेदारी से समावेशी विकास के लिए वैश्विक सांझेदारी बढ़ाना। राज्य में विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ज्ञान, विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकीय और वित्तीय संसाधन जुटाना एवं सांझा करना।

17.15 सांझेदारियों के अनुभव और संसाधन संबंधी कार्यनीतियों के लाभ उठाते हुए प्रभावी सार्वजनिक, निजी तथा सिविल सोसाइटी भागीदारियों को प्रोत्सहित करना और बढ़ावा देना।

डेटा अनुवीक्षण एवं जवाबदेही

17.16 2020 तक, आयु, लिंग, उम्र, जाति, जनजातीय, प्रवासी दर्जा, निशक्तता, भौगोलिक स्थिति और राष्ट्रीय संदर्भों में प्रांसगिक अन्य विषमताओं की दृष्टि से पृथक–पृथक उच्च गुणवत्तायुक्त, समयबद्ध और विश्वसनीय डेटा की पर्याप्त उपलब्धतता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में क्षमता निर्माण।

17.17 राज्य में सकल घरेलु उत्पाद में योगदान देने और सांख्यिकीय क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करने हेतु संधारणीय (sustainable) विकास संबंधी सूचकांकों के लिए 2030 तक मौजूदा प्राथमिकताओं का सुदृढ़ीकरण करना।

लक्ष्य –17 की प्राप्ति हेतु योजनाएं तथा भागीदारिता

1. नागरिक समाज (Civil Society)
2. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक संस्थान (Intellectual Institutions)
3. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान (Financial Institutions)
4. निजी विश्वविद्यालय बिल
5. एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS)
6. विश्व बैंक, आई.एम.एफ., एशियन डव. `ल्पमेंट बैंक (ADB), BRICS विकास बैंक इत्यादि द्वारा तकनीकी सहायता
7. विश्व बैंक, एशियन डवेल्पमेंट बैंक, आई.एम.एफ. JICA इत्यादि द्वारा बाह्य सहायता परियोजनायें
8. संयुक्त राष्ट्र का सतत् विकास लक्ष्य डैश बोर्ड
9. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम (FRBM Act)
10. गैर सरकारी संगठन (NGOs)
11. नीति आयोग, भारत सरकार

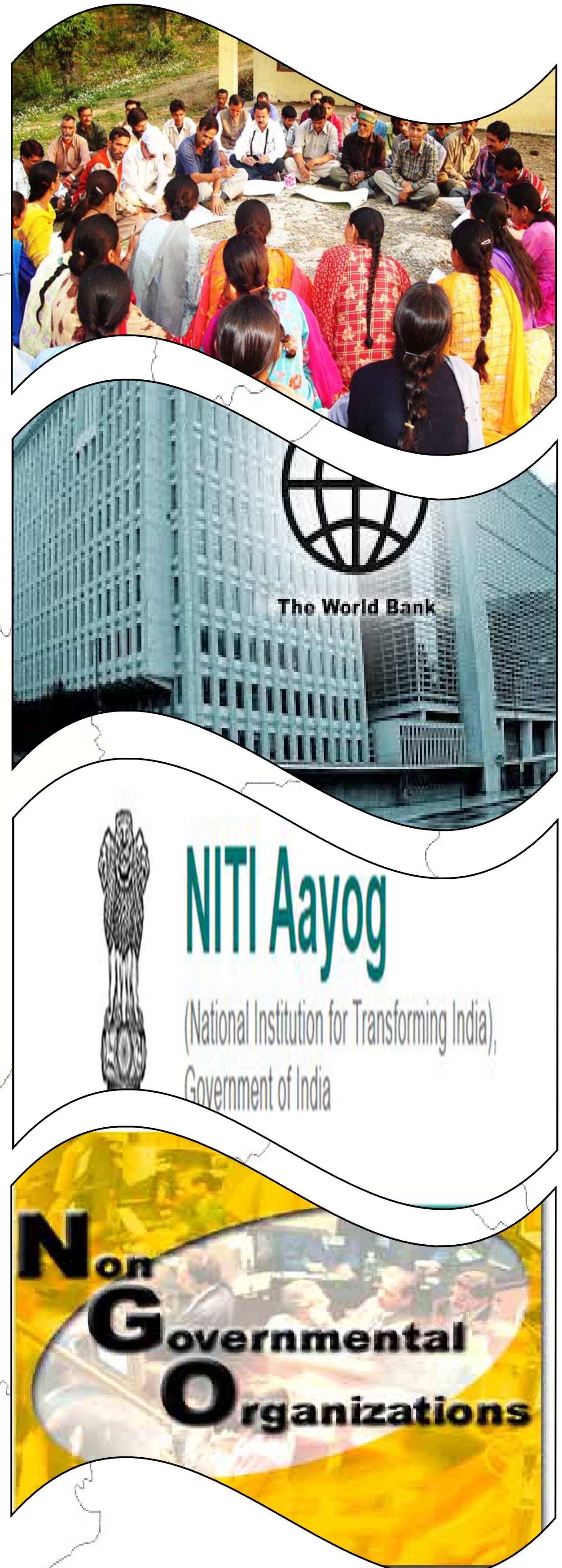

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
1 NO POVERTY
2 ZERO HUNGER
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
4 QUALITY EDUCATION
5 GENDER EQUALITY
6 CLEAN WATER AND SANITATION
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
10 REDUCED INEQUALITIES
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
13 CLIMATE ACTION
14 LIFE BELOW WATER
15 LIFE ON LAND
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS